निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 12/2025
दायरा दिनांकः-06.02.2025
निर्णय दिनांकः- 30.5.25

उनवान

1. राजकुवर बाई आयु 46 वर्ष पुत्री करणसिंह जाति राजपूत निवासी खेरखेडा नाथूराम हाल मुकाम बरखेडी हतनी गुना मध्यप्रदेश
2. कमलेश कंवर आयु 36 वर्ष पुत्री करणसिंह जाति राजपूत निवासी खेरखेडा नाथूराम हाल मुकाम काग्नीखेडा झालावाड

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः- 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः-1. श्री चन्द्रमोहन सिंह राठौर - प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीयान की शामलाती खातेदारी में एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 2 की, खसरा संख्या 3 रकबा 0.8093 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 1.4582 हैक्टेयर, खसरा संख्या 37 रकबा 1.5174 हैक्टेयर, खसरा संख्या 56 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा संख्या 58 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा संख्या 88 रकबा 0.5564 हैक्टेयर, खसरा संख्या 89 रकबा 1.7071 हैक्टेयर, कुल 7 किता आराजीयात मवाजी 6.5123 हैक्टेयर, ग्राम खेरखेड़ा नाथूराम तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थीया राजकुवरबाई का हिस्सा 1/35, व कमलेश कुवर का हिस्सा 1/35 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज चली आ रहा है, जिसकी वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो कि के शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज चली आ रहीं है। प्रार्थीयान के पिता करणसिंह का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों के सहवन से प्रार्थीयान का नाम इंतकाल में राजकुवरबाई के स्थान पर घर में बोलता नाम निर्मलकॅवर व कमलेश कॅवर के स्थान पर घर पर बोलता नाम गुड्डीबाई दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थीयान का वास्तविक नाम राजकुवरबाई व कमलेश कंवर है जिसे दुरस्तीकरण किया जाकर निर्मलकॅवर स्थान पर राजकुवरबाई व गुड्डीबाई के स्थान कमलेश कॅवर किया जाना आवश्यक एवं अत्यंत न्यायोचित है, क्योकि भारत निवार्चन आयोग पहचान पत्र, एवं आधार

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तथा जन आधार कार्ड में प्रार्थीयान का नाम राजकुवरबाई व कमलेश कँवर ही दर्ज उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में प्रार्थीयान का नाम राजकुवरबाई के स्थान पर घर में बोलता नाम निर्मलकँवर व कमलेश कँवर के स्थान पर घर पर बोलता नाम गुड्डीबाई के बजाय दर्ज हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा कृर्षि से सम्बधित प्रारम्भ की जा रहीं है. लाभकारी योजनाओं से प्रार्थीयान को वंचित होना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रार्थीयान को भयंकर रूप से आर्थिक क्षति हो रहीं है. अतः प्रार्थीयान उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में दर्ज निर्मलकँवर के स्थान पर राजकुवरबाई व गुड्डीबाई के स्थान पर नाम कमलेश कँवर दर्ज करवाकर खाते में इन्द्राज दुरूस्त करवाने की वैधानिक एवं कानूनी तोर पर अधिकारी है। प्रार्थीयान ने अप्रार्थी तहसीलदार छबड़ा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारियो से सम्पर्क कर उक्त वर्णित भूति में खातेदारी में दर्ज निर्मलकेंवर के स्थान पर राजकुंवरबाई व गुड्डीबाई के स्थान पर कमलेशकंवर दर्ज कर खाते में इन्द्राज दूरस्त करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थीयान की कोई सुनवायी नहीं की. अंत में दिनांक 25.01.2025 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा इन्द्राज दूरस्त करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय एस.डी. ओ. साहब छबड़ा में पेश करने की हिदायत दी अतः यही दिनांक 25.01.2025 में बिनाय मुकासमत प्रार्थना पत्र कायम किया जाता है। राज्य सरकार भूमि धारक होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के सबब से राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जर्ये तहसीलदार छबडा को अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेखेडानाथूराम तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 2 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, राजकुवंर बाई, फोटो प्रति आधार कार्ड जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड कमलेश कंवर पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडा नाथुराम तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीयागण का 1/35 – 1/35 हिस्सा दर्ज है प्रार्थीया के पिता करणसिंह के फोत होने पर फोती नामान्तरण खोलते समय सहवन से इन्तकाल में राजकुंवर बाई के स्थान पर निर्मल कंवर व कमलेश कंवर के स्थान पर घर का बोलता नाम गुड्डी बाई दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम राजकुंवर बाई व कमलेश कंवर है। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कराण राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रार्थीगण को नही मिल पा रहा है। जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान हो रहा है प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजात में राजकुंवर बाई व कमलेश कंवर दर्ज है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम खेरखेडा नाथूराम की जमाबन्दी सम्वत् 2079 खाता संख्या 2 में गुड्डी बाई पुत्री करणसिंह हिस्सा 1/35 जाति राजपूत सा0देह व निर्मिल कुंवर पुत्री करणसिंह हिस्सा 1/35 जाति राजपूत सा0देह के नाम दर्ज है उक्त प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...ी बाई व निर्मल कुंवर के सही नामों की जानकारी मौके के पर उपस्थित ग्राम वासियान से की गई मुताबिक ग्राम वासियान ने बताया की गुड्डी बाई पुत्री करणसिंह को कमलेश कुंवर के नाम से जाना जाता है। एवं गुड्डी बाई का सही नाम कमलेश कंवर होना बताया दोनो नाम एक ही महिला के है इसी प्रकार निर्मल कुंवर पुत्री करणसिंह की जॉच ग्राम वासियान से की गई तो ग्राम वासियान ने निर्मल कुंवर का सही नाम राजकुंवर बाई बताया दोनो नामों से निर्मल कुंवर व राजकुंवर बाई से जाना व पुकारा जाता है उक्त दोनो नाम एक ही महिला के है उक्त दोनो नामों की जॉच राशन कार्ड आधार कार्ड वोटर आईडी से भी गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा नाथूराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 2 में सह खातेदार गुड्डी बाई पुत्री करणसिंह हिस्सा 1/35, निर्मल कुंवर पुत्री करणसिंह हिस्सा 1/35 दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, एवं परिवार राशन कार्ड, में प्रार्थीगण का नाम राजकुंवर बाई व कमलेश कंवर दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्राथीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त कराना चाहती है। तहसीदार छबडा द्वारा रिपोर्ट में बताया की राजकुंवर बाई व निर्मल कुंवर को दोनो नामों से जाना जाता है। एवं कमलेश कंवर व गुड्डी बाई को भी दोनो नामों से पुकारा जाता है उक्त दोनो महिलाओं को दोनो नामों से जाना जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाकें ग्राम खेरखेडा नाथूराम खाता सख्या 2 के खसरा नम्बर 3,36,37,56,58,88,89 कुल किता 7 रकबा 6.5123 है0 में प्रार्थीया का नाम गुड्डी बाई के स्थान पर गुड्डी बाई उर्फ कमलेश कंवर एवं निर्मल कुंवर के स्थान पर निर्मल कुंवर उर्फ राजकुंवर बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा